



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-19022026-270310
CG-TL-E-19022026-270310

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 734]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 2026/माघ 24, 1947

No. 734]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 2026/MAGHA 24, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 2 फरवरी, 2026

का.आ. 772(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके पश्चात उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य के काकिनाडा जिले में 646/02-04 रेलवे कि.मी.पर गोल्लपूडि स्टेशन यार्ड में समपार फाटक सं.433 के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (I) के अंतर्गत पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, काकिनाडा, काकिनाडा जिले को लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी राजस्व मंडल अधिकारी, काकिनाडा, काकिनाडा जिले आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का

अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि सक्षम प्राधिकारी यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है.

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उप-धारा (II) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा.

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण किया जा सकता है.

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के काकिनाडा जिले में विशेष रेलवे परियोजना 646/02-04 रेलवे कि.मी.पर गोल्लपूडि स्टेशन यार्ड में समपार फाटक सं.433 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण के लिए संरचना सहित या उसके बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण :

क्र.सं.	एलपी एम सं.	पुराना सर्वेक्षण सं.	भूमि की प्रकृति	भूमि का वर्गीकरण	अधिग्रहण क्षेत्र (एकड़-सेंट)	वेबलैंड2 के अनुसार पट्टादार का नाम	उपभोग की प्रकृति
1	3336	105	सरकारी भूमि	जीपी	0.049	सड़क	सड़क
2	1012	106-2	सरकारी भूमि	जीपी	0.087	ग्रामकंटम	ग्रामकंटम
3	1011	107	सरकारी भूमि	जीपी	0.117	पंटा कालुवा	पंटा कालुवा
4	1583	121-6	पट्टा/ जिरोयिती भूमि	जिरोयिती	0.213	गोनेला राजेश	कृषि
5	1587	121-2	पट्टा/ जिरोयिती भूमि	जिरोयिती	0.346	गोल्लपल्ली वीरभद्र राव	कृषि
6	4514	121-6 ए	पट्टा/ जिरोयिती भूमि	जिरोयिती	0.178	गोल्लपल्ली वीरभद्र राव	कृषि
7	4515	121-6	पट्टा/ जिरोयिती भूमि	जिरोयिती	0.178	गोल्लपल्ली वीरा रामा सत्यनारायण	कृषि
8	1594	121-8	पट्टा/ जिरोयिती भूमि	जिरोयिती	0.306	मोगालि नागेश्वर राव	कृषि
9	1596	121-9	पट्टा/ जिरोयिती भूमि	जिरोयिती	0.09	मोगलि चिन्ना रामबाबु	कृषि
10	4875	121-9	पट्टा/ जिरोयिती भूमि	जिरोयिती	0.11	मोगलि सत्यनारायण मूर्ति	कृषि
11	4876	121-9	पट्टा/ जिरोयिती भूमि	जिरोयिती	0.016	गंटा चक्रपाणि	कृषि
12	3985	121-9	पट्टा/ जिरोयिती भूमि	जिरोयिती	0.134	मोगलि वेंकटेश्वर राव	कृषि
13	1603	121-9	पट्टा/ जिरोयिती भूमि	जिरोयिती	0.136	मोगालि रामबाबु	कृषि
14	1604	121-10	पट्टा/ जिरोयिती भूमि	जिरोयिती	0.292	मोगालि सुब्रमण्यम	कृषि

15	4183	121-10ए	पट्टा/ जिरोयिती भूमि	जिरोयिती	0.134	रेड्डी बिंदु चांदिनी	कृषि
16	4184	121-10ए	पट्टा/ जिरोयिती भूमि	जिरोयिती	0.011	रेड्डी बिंदु चांदिनी	कृषि
17	1606	121-10	पट्टा/ जिरोयिती भूमि	जिरोयिती	0.116	रेड्डी वीरलक्ष्मी	कृषि
18	1008	123	सरकारी भूमि	जीपी	0.084	पंटा कालुवा	पंटा कालुवा
19	5163	544-2	पट्टा/ जिरोयिती भूमि	जिरोयिती	0.466	दंडु सुजाता	कृषि
20	5164	544-2	पट्टा/ जिरोयिती भूमि	जिरोयिती	0.242	अडपा अम्माजी	कृषि
21	1004	543	सरकारी भूमि	जीपी	0.381	रेलवे भूमि	रेलवे भूमि
22	1644	191-2	पट्टा/ जिरोयिती भूमि	जिरोयिती	0.287	पेकेरी वेंकट रामसेट्टी	कृषि
23	1646	191-2	पट्टा/ जिरोयिती भूमि	जिरोयिती	0.051	सूरिबाबु	कृषि
24	1647	191-2	पट्टा/ जिरोयिती भूमि	जिरोयिती	0.242	पचीनीलम अत्तुता रामय्या	कृषि
25	1650	191-5बी	पट्टा/ जिरोयिती भूमि	जिरोयिती	0.244	पाचीनीलम मणि कुमारी	कृषि
26	1689	191-5ए2	पट्टा/ जिरोयिती भूमि	जिरोयिती	0.176	उडता सुभाश्री	कृषि
27	1690	542-1	पट्टा/ जिरोयिती भूमि	जिरोयिती	0.313	अडपा अम्माजी	कृषि
28	1679	542-1	पट्टा/ जिरोयिती भूमि	जिरोयिती	0.223	मुम्मिडि वनिता	कृषि
29	3345	542-2, 542-3, 603-1, 603-5	पट्टा/ जिरोयिती भूमि	जिरोयिती	0.093	गोल्लपूडी नागेश्वर राव	कृषि
30	1692	541	सरकारी भूमि	जीपी	0.368	कालुवा, पंटा कालुवा	पंटा कालुवा
31	1670	529-3	पट्टा/ जिरोयिती भूमि	जिरोयिती	0.022	गोल्लपूडि नागेश्वर राव	कृषि
कुल क्षेत्र एकड़-सेंट में					5.705		

[फा. सं. D.Con./BZA/ROB/433/20A]

सुनील कुमार वर्मा, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-IV

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 2nd February, 2026

S.O. 772(E).—In exercise of the power conferred by sub-section(1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which was given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Construction of ROB in lieu of LC No. 433 at Gollaprolu station Yard at Railway Km. 646/02-04 in Kakinada District in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Revenue Divisional Officer, Kakinada, Kakinada District, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority Revenue Divisional Officer, Kakinada, Kakinada District shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely: Construction of ROB in lieu of LC No. 433 at Gollaprolu station Yard at Railway Km. 646/02-04 in Kakinada District in the state of Andhra Pradesh.

Sl. No.	LPM No.	Old Sy. No.	Land Nature	Land Classification	Area under Acquisition (Acre-Cts)	Latitude	Longitude	Pattadar Name as per Webland2	Nature of Enjoyment
1	3336	105	Govt. Land	GP	0.049	17.16	82.29	Road	Road
2	1012	106-2	Govt. Land	GP	0.087	17.16	82.291	Gramakantam	Gramakantam
3	1011	107	Govt. Land	GP	0.117	17.16	82.291	Panta Kaluva	Panta Kaluva
4	1583	121-6	Patta/ Zeroithy Land	Zeroithy	0.213	17.16	82.291	Gonela Rajesh	Agriculture
5	1587	121-2	Patta/ Zeroithy Land	Zeroithy	0.346	17.159	82.291	Gollapalli Veerabhadra Rao	Agriculture
6	4514	121-6A	Patta/ Zeroithy Land	Zeroithy	0.178	17.159	82.292	Gollapalli Veerabhadra Rao	Agriculture

7	4515	121-6	Patta/ Zeroithy Land	Zeroithy	0.178	17.159	82.292	Gollapalli Veera Rama Satyanarayana	Agriculture
8	1594	121-8	Patta/ Zeroithy Land	Zeroithy	0.306	17.159	82.292	Mogali Nageswara Rao	Agriculture
9	1596	121-9	Patta/ Zeroithy Land	Zeroithy	0.09	17.159	82.292	MogaliChinna Rambabu	Agriculture
10	4875	121-9	Patta/ Zeroithy Land	Zeroithy	0.11	17.159	82.292	Mogali Satyanarayana Murthy	Agriculture
11	4876	121-9	Patta/ Zeroithy Land	Zeroithy	0.016	17.159	82.293	Ganta Chakrapani	Agriculture
12	3985	121-9	Patta/ Zeroithy Land	Zeroithy	0.134	17.159	82.293	Mogali Venkateswara Rao	Agriculture
13	1603	121-9	Patta/ Zeroithy Land	Zeroithy	0.136	17.158	82.293	MogaliRamabab u	Agriculture
14	1604	121-10	Patta/ Zeroithy Land	Zeroithy	0.292	17.158	82.293	Mogali Subrahmanyam	Agriculture
15	4183	121- 10A	Patta/ Zeroithy Land	Zeroithy	0.134	17.158	82.294	Reddy Bindu Chandini	Agriculture
16	4184	121- 10A	Patta/ Zeroithy Land	Zeroithy	0.011	17.158	82.294	Reddy Bindu Chandini	Agriculture
17	1606	121-10	Patta/ Zeroithy Land	Zeroithy	0.116	17.158	82.294	Reddy Veeralakshmi	Agriculture
18	1008	123	Govt. Land	GP	0.084	17.158	82.294	Kaluva, Panta	Panta Kaluva
19	5163	544-2	Patta/ Zeroithy Land	Zeroithy	0.466	17.158	82.294	Dandu Sujatha	Agriculture
20	5164	544-2	Patta/ Zeroithy Land	Zeroithy	0.242	17.157	82.295	Adapa Ammaji	Agriculture
21	1004	543	Govt. Land	GP	0.381	17.157	82.295	Railway Land	Railway Land
22	1644	191-2	Patta/ Zeroithy Land	Zeroithy	0.287	17.157	82.296	Pekeri Venkata Ramisetty	Agriculture
23	1646	191-2	Patta/ Zeroithy Land	Zeroithy	0.051	17.157	82.296	Suribabu	Agriculture
24	1647	191-2	Patta/ Zeroithy Land	Zeroithy	0.242	17.157	82.296	PachineelamAtc huta Ramayya	Agriculture

25	1650	191-5B	Patta/ Zeroithy Land	Zeroithy	0.244	17.157	82.296	Pachineelam Mani Kumari	Agriculture
26	1689	191- 5A2	Patta/ Zeroithy Land	Zeroithy	0.176	17.157	82.296	UdataSubhashri	Agriculture
27	1690	542-1	Patta/ Zeroithy Land	Zeroithy	0.313	17.156	82.296	Adapa Ammaji	Agriculture
28	1679	542-1	Patta/ Zeroithy Land	Zeroithy	0.223	17.155	82.296	Mummidi Vanitha	Agriculture
29	3345	542-2, 542-3, 603-1, 603-5	Patta/ Zeroithy Land	Zeroithy	0.093	17.155	82.296	Gollapudi Nageswara Rao	Agriculture
30	1692	541	Govt. Land	GP	0.368	17.155	82.296	Kaluva, Panta Kaluva	Panta Kaluva
31	1670	529-3	Patta/ Zeroithy Land	Zeroithy	0.022	17.154	82.296	Gollapudi Nageswara Rao	Agriculture
Total Extent in Acs. Cts					5.705				

[F. No. D.Con./BZA/ROB/433/20A]

SUNIL KUMAR VERMA, Chief Engineer/Con-IV